



दि प्लास्टिक एक्स्पॉर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL
(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या.: प्लेक्स/सीआईआर/719

24.10.2024

प्रति,

प्लेक्सकॉन्सिल के सभी सदस्य/

सीओए सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: केंद्रीय बजट 2025-26 के लिए सुझाव- के संबंध में

हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि आगामी केंद्रीय बजट 2025-26 में कर नीति का निर्माण किया जाएगा। इस संबंध में, कार्यालय डीसीपीसी सदस्यों से इनपुट मांग रहा है, ताकि वे 26.10.2024 तक आगामी केंद्रीय बजट 2025-26 के दौरान कर नीति के निर्माण के लिए सुझाव, विचार और सिफारिशें तथा अन्य मूल्यवान इनपुट भेज सकें।

सभी सुझावों और टैरिफ परिवर्तनों के लिए जानकारी संलग्न प्रारूप ([एक्सेल शीट संलग्न](#)) में प्रदान की जा सकती है।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जीएसटी से संबंधित परिवर्तन और एफटीए से संबंधित शुल्क की वार्षिक बजट प्रक्रिया के भाग के रूप में जांच नहीं की जाती है।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने इनपुट bharti@plexconcil.org; anirudha@plexconcil.org पर भेजें।

सादर अभिवादन,

भारती पारावे
उप निदेशक – व्यापार एवं नीति
प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद

